



सत्यमेव जयते



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 अग्रहायण, 1946 (श०)

संख्या - 776 राँची, मंगलवार, 10 दिसम्बर, 2024 (ई०)

#### उद्योग विभाग

-----

अधिसूचना

9 दिसम्बर, 2024

**विषय:** विभागीय संकल्प संख्या-1637 दिनांक-16.05.2016 यथा "झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार विनियमन, 2016" के प्रभावी तिथि के संबंध में।

संख्या-197/2022(जियाडा)-1573--झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा) के कार्य-कलापों हेतु एक विनियमन झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार विनियमन 2016 से संबंधित संकल्प संख्या-1637 दिनांक-16.05.2016 को निर्गत है। यह संकल्प दिनांक- 06.12.2022 को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में संख्या-576 द्वारा प्रकाशित है।

2. झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार विनियमन, 2016 के कंडिका-1.1.(iv) में निम्न प्रकार अंकित है:-

"These Regulations shall come into force on such date as the State Government may specify by notification in the official gazette and shall supersede all earlier Government/ Board Resolutions, orders or Regulations, if any. However, actions/ deeds under earlier orders/ circulars/ guidelines/ resolutions of Government/ Board shall be valid."

3. उक्त के आलोक में झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार विनियमन, 2016 को दिनांक-06.12.2022 के तिथि से प्रभावी समझा जाए।

उक्त प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**जितेन्द्र कुमार सिंह**  
सरकार के सचिव।

-----